''प्राथमिक शिक्षा में बालिकाओं के ड्राप आउट की समस्या : लखनऊ जिले के दो गॉवों का समाजशास्त्रीय अध्ययन''

(Problem of Drop-Out of Girls in Primary Education : A Sociological Study of Two Villages in Lucknow District)

शोध सारांश

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की समाजशास्त्र विषय में एम0फिल0 उपाधि हेतु प्रस्तुत

मास्टर ऑफ फिलॉसफी

(एम0 फिल0)

शोधार्थी

पारुल यादव

नामांकन सं0–1287/15

शोध निर्देशक

डॉ0 ब्रजेश कुमार

सहायक आचार्य

BABASAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY

LUCKNOW

प्रज्ञा शील करुणा

ESTABLISHED 1996

समाजशास्त्र विभाग

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

विद्याविहार, रायबरेलीरोड, लखनऊ, भारत

2017

शोध सारांश

प्रस्तावना

शिक्षा मानव जीवन का आधार स्तम्भ है। शिक्षा मानव संसाधनों के विकास का प्रमुख उत्प्रेरक हैं। यह नैतिक एवं आंतरिक शक्ति प्रदान करती है जो शोषण एवं गरीबी से मुक्ति पाने के लिए अत्यन्त आवश्यक है। शिक्षा व्यक्ति की अन्तर्निहित शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों के विकास की एक व्यवस्थित विधा है। जॉन डीवी के अनुसार, शिक्षा व्यक्ति की उन सभी शक्तियों का विकास है, जिनसे वह अपने वातावरण पर अधिकार प्राप्त कर सके और अपनी भावी आशाओं को पूर्ण कर सके। (मित्तल, 2012) शिक्षा जहाँ व्यक्ति को समाज की अपेक्षाओं के अनुकूल विकसित करने तथा समाज में निरंतरंता एवं नियंत्रण बनाए रखने का कार्य करती है वहीं बदलते परिवेश मे व्यक्तियों की अपेक्षाओं के अनुरूप समाज में आवश्यक बदलाव लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। यह समाज द्वारा प्रायोजित होती है और सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समाज के एक उपतंत्र के रूप में कार्य करती है। किसी समाज के स्वरूप को बनाने, बनाए रखने तथा उसमें परिवर्तन लाने में शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। (कुमार , 2015)

किसी भी राष्ट्र की प्रगति की अनिवार्य शर्त के रूप में प्राथमिक शिक्षा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आने वाली पीढ़ियों का निर्माण करती है। यह प्रथम सीढ़ी है जिसे सफलतापूर्वक पार कर के ही कोई राष्ट्र अपने अभीष्ट लक्ष्य तक पहुचता है। प्राथमिक स्तर से ही शिक्षा पर ध्यान देकर हम शिक्षित समाज और आदर्श राष्ट्र की ओर बढ़ने की कोशिश कर सकते है। प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा का प्रथम सोपान होता है, इस स्तर पर शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों में अनेक प्रारम्भिक स्तर का चारित्रिक, मानसिक बौद्धिक, भावनात्मक व संवेगात्मक विकास होता है।इन सभी विकास प्रक्रियाओं के साथ ही शैक्षिक प्रक्रिया भी प्रारम्भ होती है,। इसी स्तर पर जीवन के विकास की आधारशिला रखी जाती है। प्राथमिक शिक्षा, देश के भावी पीढ़ी को ज्ञान प्रदान करने तथा उनके चरित्र निर्माण करने में महत्वपूर्ण योगदान करती है।

शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए ही स्वाधीन भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 में 6–14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की संकल्पना की गई थी। कोठारी आयोग (1964–66) के अनुसार, प्राथमिक शिक्षा दो भागों में विभाजित की गयी।

1– निम्न प्राथमिक शिक्षा (4 अथवा 5 वर्ष की)

2– उच्च प्राथमिक शिक्षा (3 वर्ष की) (यादव, 2014)

ड्रापआउट की आवधारणा–:

ड्रापआउट को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके अन्तर्गत बच्चों का विद्यालय में नामांकन तो होता है लेकिन शैक्षिक चक्र के प्रासंगिक स्तर को पूरा करने में विफल रहता हैं। (सत्तार, 1984)

यूनेस्कों के सदस्य देश (1971) के अनुसार, ड्रापआउट का तात्पर्य है–:

1– सार्वभौमिक शिक्षा प्रदान करने वाली प्रणाली की विफलता

2– शिक्षा प्रणाली में बच्चों को पुनः प्रवेश दिलाने में विफलता

3– शिक्षा के उद्देश्यों को स्थापित करने में असफलता

4– शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत बच्चों को रोके रखने में विफलता एवं

5– शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में अक्षमता। (होसमानी, 2011)

हर्टांग समिति ने 1929 ई0 में ड्रापआउट (अपव्यय) की परिभाषा देते हुए कहा था,

अपव्यय से हमारा अभिप्राय प्राथमिक शिक्षा की अवधि पूरा होने से पूर्व ही बालकों को पाठशाला की किसी कक्षा से हटा लेना। (यादव, 2016)

बालिकाओं में ड्रापआउट की समस्या–:

2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जहाँ पुरूषों की साक्षरता दर 82.14 प्रतिशत है वहीं महिलाओं की साक्षरता दर 65.46 प्रतिशत है। कई राज्यों में यह 55 प्रतिशत से भी कम है। महिला साक्षरता दर के अनुसार बिहार, राजस्थान सबसे पिछड़े है। जहाँ क्रमशः केवल 53.33 प्रतिशत, 52.66 प्रतिशत महिलाएँ साक्षर है। इस परिस्थिति से यह स्पष्ट होता है कि स्वतंत्रता के 70 वर्षो के बाद भी महिला शिक्षा के लिए विशेष प्रयास करना शेष है। साक्षरता के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि बालिकाओं द्वारा प्राथमिक शिक्षा

पूरी की जाए। किंतु अभी भी प्राथमिक स्तर पर बालकों की अपेक्षा बालिकाओं द्वारा विद्यालय छोड़ना एक बहुत बड़ी चुनौती है।

आज भी समाज में बालिकाओं के प्रति दृष्टिकोण भेदभावकारी है विशेष कर ग्रामीण अंचल में। परिवार में बालक–बालिकाओं को समान व्यवहार नहीं मिलता। बालकों को जहाँ परिवार का आधार माना जाता है वहीं बालिका को माता–पिता एक जिम्मेदारी के रूप में देखते है। विवाह आदि में पनपी हुई कुछ कुरीतियों के चलते जन्म से ही कन्या का स्वागत पूरे मन से नहीं होता। यही भाव बालिका शिक्षा के प्रति उदासीनता का कारण है। (कानिटकर, 2016) विगत वर्षो में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से सकारात्मक परिवर्तन हुए है जिससे पूर्व की अपेक्षा स्थिति बेहतर हुयी है किंतु अभी भी वांछित प्रगति का अभाव है। ड्रापआउट को रोकने के लिए यद्पि अनेक प्रयास सरकार द्वारा किये गये है यथा परीक्षा परिणामों को शत–प्रतिशत बनाए रखना, मिड–डे–मिल योजना, पाठ्यपुस्तकों तथा यूनिफार्म निःशुल्क प्रदान करना आदि फिर भी प्राथमिक शिक्षा में बालिकाओं का ड्रापआउट पूरी तरह नहीं रूका है हालांकि स्थिति पहले से बेहतर हुयी है।

तालिका 1.2 प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5 तक) पर ड्रापअउट की दरें– (प्रतिशत में)

वर्ष	लड़के	लड़कियाँ	योग
1960–61	61.7	70.9	64.9
1970–71	64.5	70.9	67.0
1980–81	56.2	62.5	58.7
1990–91	40.1	46.0	42.6
2000–01	39.7	42.9	40.7
2005–6	28.7	21.8	25.7
2006–7	24.6	26.8	25.6
2007–8	25.7	24.4	25.1
2008–9	29.6	25.8	27.8
2009–10	31.8	28.5	30.3
2010–11	29.0	25.4	27.4
2011–12	23.4	21.0	22.3
2012–13	23.0	19.4	21.3
2013–14	21.0	18.3	19.8

स्रोतःhttp://mhrd.gov.in/sites/uploadfiles/mhrd/files/statistics/EAG2014pdf

ऑकड़े बताते है कि प्राथमिक स्तर पर लड़कियों के ड्रापआउट की दर 1960–61 में 70.9 प्रतिशत थी जो सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा में किए गए प्रयासों जिनमें 1987 में ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना के संचालन के परिणामस्वरूप लड़कियों के ड्रापआउट की दर घटकर 1990–91 में 42.6 प्रतिशत हो गई। तथा इसी प्रकार जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (1994), मिड–डे–मिल योजना (1995) एवं प्रोत्साहन भत्ता योजना (1999–2000) , सर्वशिक्षा अभियान (2000–01) चलाये जाने के कारण बालिकाओं के प्राथमिक स्तर पर ड्रापआउट में तेजी से कमी आयी जो कि 42.6 प्रतिशत से घटकर 2005–06 में 25.7 प्रतिशत हो गयी। 2002 में शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाए जाने एवं 2010 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने के परिणामस्वरूप ड्रापआउट की दरों में और कमी आयी जो कि 2012–13 में 19.4 प्रतिशत तथा 2013–14 के आँकड़ों के अनुसार घटकर 18.3 प्रतिशत हो गयी। इस प्रकार सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों के परिणामस्वरूप ड्रापआउट की दरो में कमी दर्ज की जा रही है किंतु इसे शून्य स्तर पर लाने के लिए अभी भी प्रयास किया जाना शेष है।

बालिकाओं में ड्रापआउट के कारण–:

राउत एवं साहू (2005) ने "प्राथमिक स्तर पर छात्राओं में शालात्याग कार्यकारी कारकों का विषय" के अपने शोध अध्ययन में प्राथमिक विद्यालयों की छात्राओं द्वारा पहचाने गए ड्रापआउट के कारकों को चार क्षेत्रों में बाटाँ है, जो निम्नलिखित है–

पारिवारिक कारक–:

- ❖ घरेलू कार्यो में संलग्न रहने के कारण
- ❖ परिवार के सदस्यों की लम्बी बीमारी
- ❖ अभिभावक की मृत्यु एवं पृथक्करण

विद्यालयी कारक–:

❖ भौतिक सुविधाओं का अभाव

❖ पाठ्य सहगामी क्रियाओं का अभाव

❖ दण्ड का भय

❖ विद्यालय में स्त्री शिक्षिकाओं का अभाव

सामाजिक कारक–:

❖ सह शिक्षा के प्रति सामाजिक पूर्वाग्रह

❖ असामाजिक तत्वों द्वारा विद्यालय जाने वाली छात्राओं को उत्पीड़ित करना

❖ कम आयु में विवाह होनां।

आर्थिक कारक–:

❖ अभिभावकों की निम्न स्थिति

❖ अभिभावकों का भोजन एवं यूनिफार्म उपलब्ध कराने में असक्षम होना।

ड्रापआउट को रोकने हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयास–:

भारत में हमेशा से सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान शिक्षा का राष्ट्रीय लक्ष्य रहा है। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात् संविधान द्वारा प्रदत्त समानता के अधिकारों ने शिक्षा के क्षेत्र में बालिकाओं की स्थिति सुधारने हेतु नए–नए आयाम प्रस्तुत किए। सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा में बालिकाओं के नामांकन एवं प्रतिधारण को बढ़ाने एवं ड्रापआउट को रोकने हेतु कई प्रावधान किए गए जो निम्नलिखित है–:

ड्रापआउट को रोकने हेतु किए गए गैर–शैक्षणिक प्रावधान–:

1– निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान

2– विद्यालयी भौतिक आधारभूत संरचना के निर्माण का प्रावधान

3– छात्रों के लिए स्कूली सुविधाओं का प्रावधान

4– छात्रों के लिए प्रोत्साहन योजनाएँ –

- ❖ दोपहर भोजन योजना
- ❖ मुफ्त वर्दी और यूनिफार्म की व्यवस्था
- ❖ मुफ्त पाठयपुस्तकों का प्रावधान
- ❖ लड़कियों के लिए उपस्थिति छात्रवृत्ति
- ❖ फेल न करने की नीति

ड्रापआउट को रोकने हेतु किए गए शैक्षणिक उपाय–:

- ❖ नए पाठयक्रम के तरीकों के विकास के लिए कार्यक्रम/परियोजनाएँ एव पाठयपुस्तकों और अन्य सीखने की सामग्रियों की गुणवत्ता में सुधार
- ❖ अनग्रेडेड स्कूल सिस्टम पर प्रयोगात्मक/परिचालन परियोजनाएँ
- ❖ शिक्षकों की क्षमता बढ़ाने के लिए इन–सर्विस और प्री–सर्विस कार्यक्रम

उपरोक्त समस्त प्रावधान सरकार द्वारा चलायी गयी निम्नलिखित योजनाओं एवं कार्यक्रमों के संचालन के माध्यम से किए गए–

ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना (1987), जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (1994), मध्याह्न भोजन योजना(1995), सर्वशिक्षा अभियान (2001), शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009) आदि।

अध्ययन का महत्व–

किसी भी देश का वास्तव में विकास तभी सम्भव है जब वहाँ की सम्पूर्ण आबादी का उसमें योगदान हो। भारत में जब आधी आबादी के हिस्से की शिक्षा ही पूरी नहीं हो तो फिर किस प्रकार वे देश की उन्नति में हाथ बँटा सकती है। विकास का आधार शिक्षा ही है इसलिए महिलाओं की सम्पूर्ण क्षमता का इस्तेमाल करने के लिए जरूरी है कि वे शिक्षित हो। यदि महिलाएँ शिक्षित होगी तभी विकास की मुख्य धारा से जुड़ पायेंगी। चूँकि शिक्षा की आधारशिलाा प्राथमिक शिक्षा ही है। अतः यह आवश्यक है कि प्राथमिक शिक्षा में बालिकाओं के ड्रापआउट की समस्या का विश्लेषण किया जाएं एंव ड्रापआउट को समाप्त करने हेतु उपयुक्त सुझावों का प्रतिपादन किया जाए।

प्रस्तुत शोध के माध्यम से बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा पूरी करने में होने वाली कठिनाइयों का पता चल सकेगा जिसे दूर करने का प्रयास करके निश्चित रूप से बालिका शिक्षा की स्थिति में सुधार किया जा सकता है। इस शोध के माध्यम से बालिका शिक्षा के प्रति उदासीन अभिभावकों की पहचान करके उन्हें बालिकाओं को विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित किया जा सकेगा व उनके लिए पृथक रूप से जागरूकता अभियान चलाए जा सकते है।

यह शोध शिक्षकों को बालिका शिक्षा के क्षेत्र में विशेष प्रयास करने हेतु प्रेरित करेगा क्योंकि शिक्षक मात्र कागजों पर शत–प्रतिशत नामांकन कर अपने कर्तव्य की इतिश्री मान लेते है। प्रस्तुत शोध के माध्यम से सरकार प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में बालिकाओं के लिए चलायी जा रही योजनाओं एवं कार्यक्रमों का मूल्यांकन कर सकेगी तथा प्राप्त आंकड़ो का वैधीकरण करके अधिक प्रभावी योजना बना सकती है।

अध्ययन पद्धति

व्यापक सन्दर्भ में अध्ययन के निष्कर्षों को समझने के लिए और निर्धारित लक्ष्यों में उनकी प्रासंगिकता का मूल्यांकन करने में तथा इस क्षेत्र में पिछले अनुसंधान से सम्बन्धित प्रासंगिकता सहित्य की गहन समीक्षा करने का प्रयास किया गया। समस्या का अवलोकन करने के बाद विशिष्ट उददेश्यों को निर्धारित किया गया।

अध्ययन के उद्देश्य–:

इस अध्ययन के उददेश्य निम्नलिखित है–

1– ड्रापआउट बालिकाओं की सामाजिक– आर्थिक पृष्ठभूमि का विश्लेशण करना।

2– बालिका शिक्षा के प्रति अभिभावकों के दृष्टिकोण का अध्ययन करना।

3– प्राथमिक शिक्षा मे बालिकाओं के ड्रापआउट रोकने हेतु योजनाओं एवं कार्यक्रमों का विश्लेशण करना।

अध्ययन क्षेत्र–

उददेश्यपूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश राज्य का चयन अध्ययन क्षेत्र के रूप में किया गया है।

निदर्शन प्रक्रिया–

निदर्शन प्रक्रिया को निम्न बिन्दुओं में प्रदर्शित किया है–

1– जिले का चयन

2– तहसील का चयन

3– गाँव का चयन

4– उत्त्रदाताओं का चयन

जिले का चयन–

उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 75 जिले है। इन जिलों में से लखनऊ जिले का चयन उद्देश्यपूर्ण तरीके से प्रस्तुत शोध अध्ययन के लिए किया गया। यह जिला समय एवं धन की बचत के दृष्टिकोण से आवश्यक जानकारी को एकत्रित करने में सहायक था।

तहसील का चयन–:

लखनऊ जिले के अन्तर्गत कुल चार तहसीलें है– लखनऊ , बक्शी का तालाब, मलिहाबाद एवं मोहनलालगंज। मोलनलालगंज तहसील सबसे बड़ी तहसील है जिसके अन्तर्गत

229 गाँव है (जनगणना 2011 के अनुसार) बड़ी तहसील होने के कारण अध्ययन के लिए मोहनलालगंज तहसील का चुनाव किया गया।

गाँव का चयन–:

मोहनलालगंज के 229 गांवों में से सबसे न्यूनतम महिला साक्षरता वाले पॉच गांव क्रमानुसार भगवानपुर, दुलारामऊ, उत्तरॉवा, गौरा एवं मोहारीकॅला है (जनगणना 2011 के अनुसार) इनमें से अध्ययन हेतु दो गॉवों का चयन गौरा एवं मोहारीकॅला निकटता के आधार पर किया गया।

गौरा–:

उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में मोहनलालगंज में स्थित गौरा कुल 1021 परिवारों का एक बड़ा गांव है। गौरा गाँव की कुल आबादी 5,160 है जिसमें पुरूष की कुल संख्या 2,660 और महिलाओं की कुल संख्या 2,500 है।

गौरा गाँव की कुल साक्षरता दर 63.95 प्रतिशत है जो कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर (67.68 प्रतिशत) की तुलना में कम है। गौरा गॉव की पुरूष साक्षरता दर 72.35 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 54.90 प्रतिशत है (जनगणना 2011 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार)

मोहारीकॅला–

मोहारीकॅला उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में मोहनलालगंज में स्थित 350 परिवारों का एक माध्यम आकार का गॉव है। जिसकी कुल आबादी 1801 है।

इस गॉव में पुरूषों की कुल संख्या 946 है। एवं महिलाओं की कुल संख्या 855 है।

मोहारीकॅला की कुल साक्षरता दर 61.36 प्रतिशत है जो कि उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर से कम है मोहारीकॅला की पुरूष साक्षरता दर 68.74 प्रतिशत है जबकि महिला साक्षरता दर 53.03 प्रतिशत है।

ड्रापआउट बालिकाओं का चयन–:

ड्रापआउट बालिकाओं के चयन हेतु सर्वप्रथम (गौरा एवं मोहारीकॅला) के प्राथमिक विद्यालयों का दौरा किया और शिक्षकों से ड्रापआउट बालिकाओं के विषय में जानकारी ली। उन्होनें बताया कि विद्यालय में किसी भी बालिका के ड्रापआउट करने का प्रमाण नहीं है। सभी बालिकाएँ विद्यालय आ रही है एवं सभी स्तर पर वार्षिक परीक्षाओं में भाग ले रही है। इसके बाद मैं ग्राम प्रधान से मिली और इस सन्दर्भ में बातचीत की। उनके द्वारा कुछ ड्रापआउट बालिकाओं के बारे मे ंसूचना मिली। उनके द्वारा बतायी गयी ड्रापआउट बालिकाओं से वार्तालाप करके कुछ अन्य ड्रापआउट बालिकाओं ंका भी पता चला। इसके अतिरिक्त दोनों गाँवों में घर–घर जाकर ड्रापआउट बालिकाओं के विषय में जानकारी ली गयी। इस प्रकार गौरा गाँव से कुल 13 ड्रापआउट बालिकाएँ एवं मोहारीकॅला से कुल 9 ड्रापआउट बालिकाएँ मिली जो प्राथमिक स्तर (कक्षा 1–5) की शिक्षा पूर्ण करने से पूर्व ही विद्यालय जाना छोड़ चुकी थी। इस प्रकार कुल 22 ड्रापआउट बालिकाएँ एवं उनके अभिभावकों का चयन उत्तरदाताओं के रूप में किया गया।

तथ्य संकलन की प्रक्रिया–:

अध्ययन की प्रकृति एवं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए वर्णात्मक शोध पद्धति का प्रयोग किया गया। अध्ययन से संबंधित विभिन्न तथ्यों मे संकलन के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के स्त्रोतों का प्रयोग किया गया है। यह गुणात्मक पद्धति पर आधारित है। अध्ययन से संबंधित विभिन्न तथ्यों कै संकलन के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के स्त्रोतों का प्रयोग किया गया।

प्राथमिक स्त्रोतों के द्वारा आँकड़ों के संकलन हेतु उद्देश्यपूर्ण निदर्शन द्वारा 22 ड्रापआउट बालिकाओं एवं उनके अभिभावकों का चयन लखनऊ जिले के मोहनलालगंज से किया गया। इन ड्रापआउट बालिकाओं में ऐसी बालिकाओं को शामिल किया गया जो प्राथमिक स्तर (कक्षा 1– 5)की शिक्षा पूर्ण करने से पूर्व ही पढ़ाई छोड़ चुकी थी। इन ड्रापआउट बालिकाओं एवं इनके अभिभावकों से गहन साक्षात्कार के माध्यम से आँकड़ें एकत्रित किए गये। ड्रापआउट बालिकाओं से गहन साक्षात्कार के द्वारा उन्हें पढ़ाई में होने वाली बाधाओं, विद्यालय

छोड़ने के कारण आदि जानने का प्रयास किया गया एवं बालिकाओं के अभिभावकों से बालिका शिक्षा के प्रति उनके दृष्टिकोण को जानने का प्रयास किया गया।

प्राथमिक स्त्रोतों के द्वारा आँकड़ों के संकलन हेतु अवलोकन विधि का भी प्रयोग किया गया।द्वितीयक स्त्रोतों के अन्तर्गत तथ्यों के संकलन हेतु विभिन्न सरकारी आँकड़ों जिनमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय की रिपोर्ट, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट एवं गैर सरकारी आँकड़ो, लेखों एवं पत्रिकाओं समाचार पत्रों पुस्तकों एवं इटरनेट आदि तकनीकों की सहायता से तथ्य संकलित किए गए।

तथ्यो का विश्लेषण–: (Cresswell 1998) क्रेसवेल द्वारा सुझायी गयी प्रक्रिया द्वारा गुणात्मक तथ्यों का विश्लेषण निम्न चरणों में किया गया –

- ❖ प्रत्येक साक्षात्कार को पढ़कर मेमो लिखा गया। इस चरण मे दो बातों पर बल दिया गया। पहली उत्तरदाता की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि, दूसरी उत्तरदाता द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी की विश्वसनीयता।
- ❖ इस चरण में तथ्यों को कोडिंग किया गया। कोडिंग का मतलब सामग्री का आयोजन कर तथ्यों को अर्थ देना है।
- ❖ समान कोड वाली सामग्री को एकत्रित कर प्रत्येक उत्तरदाता के मुख्य विषयवस्तु विकसित किए गये।
- ❖ उत्तरदाताओं के विषयवस्तुओं की तुलना करते हुए सम्बन्धित विषय वस्तुओं को जोड़ा गया।
- ❖ अंत में समग्र दृष्टिकोणों के आधार पर थीम विकसित किए गए।

अध्ययन की चुनौतियाँ–:

- ❖ प्राथमिक विद्यालयों में ड्रापआउट बालिकाओं के सन्दर्भ में कोई रिकार्ड न मिलने के कारण ड्रापआउट बालिकाओं के चयन में प्रारम्भिक स्तर पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

- ❖ ज्यादातर ड्रापआउट बालिकाओं के अभिभावकों के अशिक्षित होने के कारण वार्तालाप या गहन साक्षात्कार के दौरान भाषा संबंधी कठिनाई का सामना करना पड़ा।

- ❖ अध्ययन क्षेत्र (गौरा एवं मोहारीकँला गाँव) में पक्की सड़के न बनी होने के कारण गाँव के अन्दर चलकर जाने में समस्या हुई क्योंकि सड़क न बनी होने के कारण यातायात का कोई साधन नहीं था, जिसके कारण कठिनाई का सामना करना पड़ा।

प्रमुख निष्कर्ष–

तृतीय अध्याय में ड्रापआउट बालिकाओं की सामाजिक आर्थिक पृष्टभूमि का विश्लेषण करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि अभिभावकों का निम्न शैक्षिक एवं आर्थिक स्तर उनके ड्रापआउट को प्रभावित करता है। चूँकि कम पढ़े–लिखे अभिभावक बालिका शिक्षा के महत्व को नहीं समझ पाते, इसी कारण वे शिक्षा हेतु उन्हें प्रेरित भी नहीं करते और न ही उनके शैक्षिक कार्यो में कोई सहयोग कर पाते है। जो कि विद्यालय के प्रति बालिकाओं के रूझान को कम कर देता है और ड्रापआउट का कारण बनता है। अभिभावकों की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण बालिकाओं की शिक्षा हेतु अन्य शैक्षिक सामग्री (उत्तर पुस्तिका, लेखन सामग्री, बैग) न उपलब्ध करा पाना एवं उनकी शिक्षा हेतु उपयुक्त वातावरण का अभाव होना विद्यालयों में उनके प्रतिधारण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। ज्यादातर ड्रापआउट बालिकाएँ विशेष वर्ग–अनुसूचित जाति से सम्बन्धित थी। इस वर्ग विशेष की बालिकाओं के अभिभावकों का शैक्षिक एवं आर्थिक स्तर निम्न होना इनके ड्रापआउट का प्रमुख कारण पाया गया।

चतुर्थ अध्याय में बालिका शिक्षा के प्रति अभिभावकों के दृष्टिकोण के विश्लेषण के आधार पर यह पता चलता है कि आज भी कुछ पुरूष अभिभावकों की सोच बालिका शिक्षा के प्रति रूढ़िवादी बनी हुयी है। इसी रूढ़िवादिता एवं परम्परागत मूल्यों के कारण ही वे अपनी बालिकाओं को शिक्षित करना आवश्यक नहीं समझते और इसी कारण विद्यालय जाने के लिए

प्रोत्साहित भी नहीं करते। जबकि ज्यादातर बालिकाओं की माता का दृष्टिकोण बालिका शिक्षा के प्रति सकारात्मक पाया गया। किन्तु निम्न शैक्षिक स्तर व बालिकाओं की घरेलू कार्यो में संलग्नता के कारण वे अपनी बालिकाओं को विद्यालय भेजने में असक्षम थी। निम्न शैक्षणिक पृष्ठभूमि के कारण बालिकाओं के अभिभावकों द्वारा विद्यालयी कार्यक्रमों में भाग न लेने के कारण उनके दृष्टिकोण में कोई सकारात्मक परिवर्तन देखने को नहीं मिला।

पंचम अध्याय में बालिकाओं के ड्रापआउट रोकने हेतु योजनाओं एवं कार्यक्रमों का विश्लेषण करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकलता है कि विद्यालयों में बालिकाओं को शारीरिक दण्ड दिया जाना, शिक्षकों द्वारा रचनात्मक ढंग से शिक्षण कार्य न करना, विद्यालय में बैठने की उचित व्यवस्था न होना, विद्यालय द्वारा मिड–डे–मील के मेन्यू का पालन न करना आदि सरकार द्वारा ड्रापआउट को रोकने हेतु चलायी जा रही योजनओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में प्रक्रियागत दोषों को स्पष्ट करता है।

सुझाव

प्राथमिक शिक्षा में बालिकाओं के ड्रापआउट को रोकने हेतु कुछ सुझावों को निम्न बिंदुओं से प्रदर्शित किया गया है–

- ❖ अभिभावकों में बालिका शिक्षा तथा उसके महत्व के सन्दर्भ में उन्हें जागरूक किये जाने की आवश्यकता है इसके लिए अभिभावक जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए। ताकि वे बालिका शिक्षा के महत्व को समझ सकें और बालिकाओं को विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित हों।

- ❖ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे अभिभावकों पर प्राथमिक शिक्षा का भार पूरे तरीके से सरकार द्वारा खत्म किया जाना चाहिए। इसके लिए इन परिवारों की बालिकाओं के लिए निशुल्क शैक्षिक सामग्री की व्यवस्था की जानी चाहिए।

- ❖ शिक्षकों द्वारा बालिकाओं के अभिभावकों को उनकी शिक्षा के प्रति जागरूक एवं प्रेरित करने के लिये अभिभावकों के साथ परस्पर सम्बन्ध स्थापित करना चाहिए एवं समय–समय पर बालिकाओं के घर का भ्रमण किया जाना चाहिए।

- ❖ विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य श्रव्य दृश्य माध्यम का प्रयोग करके रचनात्मक तरीके से किया जाना चाहिए ताकि बालिकाओं की रूचि कक्ष–शिक्षण में बनी रहे।

- ❖ विद्यालयों में आवश्यक बुनियादी सुविधाओं तथा`शैक्षिक उपकरणों की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए तथा समय–समय पर शैक्षिक अधिकारियों द्वारा विद्यालय का निरीक्षण किया जाना चाहिए।

- ❖ विद्यालय में दिये जाने वाले दोपहर भोजन के मेन्यू का पालन विद्यालयों द्वारा किया जाना चाहिए एवं इसका पालन न करने पर शिक्षकों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए।

- ❖ स्कूली व्यवस्था में दण्ड पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए नियमों का कठोर क्रियान्वयन किया जाना चाहिए।

- ❖ शिक्षकों को वैज्ञानिक विधि से शिक्षण कौशल द्वारा प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ताकि वे सकरात्मक व्यवहार से बच्चों में स्व अनुशासनात्मक भावनाओं को जागृत कर सकें।